

<p>तारीख हुक्म</p>	<p><b>हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</b></p> <p>नरपत सिंह राठौड निवासी- ग्राम पोस्ट बाकरा रोड, तहसील जालौर, जिला जालौर 343025</p> <p><b>बनाम</b></p> <p>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत प्रथम सूचना अपील संख्या :- 65/2024 जीसीएमएस नं. :- 2024/118 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)</p>
<p>04.11.2024</p>	<p style="text-align: center;">-: निर्णय :-</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. पत्रावली आज पेश हुई ।</li><li>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन-पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।</li><li>3. अपीलार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में वांछित सूचना तहसीलदार, सोजत से संबंधित होने से तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्र द्वारा इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी को इस कार्यालय के पत्र के द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित कर दिया गया। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।</li><li>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना काफी ढूढने के बाद भी इस कार्यालय में नहीं मिली है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई सूचना के विपरीत अपीलार्थी ने अपनी आपत्ति जाहिर की।</li><li>5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सोजत को निर्देशित किया जाता है कि एक बार पुनः एक कमेटी का गठन किया जाकर वांछित सूचना कार्यालय में ढूढकर अपीलार्थी के आवेदन पत्र का नियमानुसार 30 दिवस में निस्तारण करे व रिकॉर्ड नहीं मिलने की स्थिति में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने संबंधित कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।</li><li>6. निर्णय आज दिनांक <b>04.11.2024</b> को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।</li></ol> <p style="text-align: center;"> (एल.एन. मंत्री) प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली</p>